

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा किरम मुकदमा रज्जु दिनांक
22/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट 04.02.2019

निर्णय दिनांक
27.02.2019

उनवान सरकार बनाम सुन्दरलाल पुत्र बलबीर जाति नायक निवासी सोहली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सोहली ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सोहली की राजकीय भूमि ख0न0 164 कुल रकबा 16.11 है0 किरम गै0मु0 जोहड़ में से 0.01 है0 अतिक्रमी सुन्दरलाल पुत्र बलबीर जाति नायक निवासी सोहली ने अवैध रूप से मकान व मेड़बन्दी कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजरथान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा एवं नोटिस जबाब पेश किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में मकान व मेड़बन्दी कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से मकान व मेड़बन्दी कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 6.79/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.07 की 50 गुणा जुर्माना राशि 4/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फ़ैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

35
18
41
Suman

तहसीलदार बुहाना (कार्यवाहक)
नायब तहसीलदार बुहाना